कार्यालय– जिला शिक्षा अधिकारी, औरैया

पत्रॉक–/अंगेजी माध्यक मान्यता/ 1124 2024–25 दिनांकः– 31-05-2024

प्रबंधक,

ज्ञान स्थली एकेडमी

काली माता मन्दिर के पास, औरैया (ऊ0प्र0)

विषय– निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 2009 की धारा 18 के प्रयोजन हेतु उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के नियम 11 के उप नियम (4) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण–पत्र।

प्रिय महोदय/महोदया,

आवेदन पत्र दिनाकं .... और इस सन्बन्ध में विद्यालय से पश्चावर्ती पत्राचार/निरीक्षण के सन्दंभ में **ज्ञान स्थली एकेडमी, काली माता मन्दिर, औरैया (ऊ0प्र0)** (पता सहित विद्यालय के नाम) को कक्षा ....1......... से ....8........तक हेतु दिनांक ....01.04.2024................. से दिनांक ....01.03.2027............... तक तीन वर्षो की अवधि के लिए औपबंधिक मान्यता का प्रदान किया जाना सम्प्रेषित करता हूंः–

1. मान्यता के लिए स्वीकृति विस्तारणीय नहीं है और यह किसी भी रूप में कक्षा 8 के बाद मान्यता /सम्बन्द्धता प्रदान करने के दायित्व को विवक्षित नहीं करता है।

2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (संलग्नक–एक) और उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 (संलग्नक–दो) के उपबन्धों का पालन करेगा।

3. विद्यालय कक्षा एक में, कक्षा की सदस्य संख्या के ....25............प्रतिशत तक पास–पडोस के कमजोर वर्ग और साधनहीन समूह के बालकों को प्रवेश देगा। और इनकी शिक्षा पूर्ण होने तक निःशुल्क और अनिवार्य प्रांरभिक शिक्षा उपलब्ध करायेगा। परन्तु अग्रेतर यह कि पूर्ण प्राथमिक कक्षाओं के मामले में भी इस सन्नियम का पालन किया जायेगा।

4. प्रस्तर तीन में सन्दर्भित बालकों के लिए विद्यालय यदि अधिनियम की धारा 12 (2) के अधीन आच्छादित हो तो विद्यालय को तदनुसार प्रतिपूतियों को प्राप्त करने के लिए विद्यालय अलग से बैक खाता उपलब्ध करायेगा।

5. समिति/विद्यालय कोई प्रतिव्यकित शुल्क संग्रह नहीं करेगा और बालक अथवा उसके माता– पिता या अभिभावक को किसी जांच प्रकिया के अध्याधीन नहीं करेगा।

6. विद्यालय प्रवेश से वंचित नहीं करेगा–

(क) बालक का आयु–प्रमाण न होने पर

(ख) धर्म, जाति अथवा नस्ल, जन्म स्थान अथवा उनमें से किसी आधार पर।

7. विद्यालय निम्ननिलिखित बातों को सुनिश्चित करेगा

(क) किसी विद्यालय में प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने तक प्रवेश दिये गये किसी बालक को किसी कक्षा में नहीं रोका रखा जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।

(ख) किसी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीडन का भागी नहीं बनाया जायेगा।

(ग) किसी भी बालक से प्रारभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित नहीं है।

(ध) प्रत्येक बालक को प्रारभिक शिक्षा पूर्ण पर नियम 23 के अन्तर्गत निर्धारण के अनुसार एक प्रमाणपत्र वितरित किया जायेगा।

(ड) अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्तताग्रस्त/ विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों का अन्तर्वेशन

(च) अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है

(छ) अध्यापक निजी की धारा–कलापों के निमित स्वयं नहीं लगायेगा।

8. विद्यालय संमुचित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यकम का अनुसरण करेगा।

9. विद्यालय छात्रों का नामांकन विद्यालय में उपलब्ध विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपात में करेगा जैसा कि अधिनियम की धारा 19 में विनिर्दिष्ट किया गया है।

10. विद्यालय परिसर के भीतर या विद्यालय के बाहर के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षायें नहीं चलाई जायेगी।

11. विद्यालय सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम–1860 (अधिनियम संख्या–21 सन् 1860) के अधीन पंजीकृत समिति या तदृसमय या प्रवरित किसी विधि के अधीन गठित किसी सार्वजनिक न्यास द्वारा संचालित नहीं किया जाता है।

12. विद्यालय किसी व्यक्ति समूह या व्यक्ति संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों की प्रसुविधा के लिए संचालित नहीं किया जाता है।

13. लेखाओं की संपरीक्षा और प्रमाणन किसी चार्टड एकाउन्टेट द्वारा किया जाना चाहिए और नियमानुसार समुचित लेखा विवरण तैयार किया जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति, प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को प्रेषित की जाने चाहिए।

14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता सम्बधित कोड स0............2131079................ है। कृप्या इसको ध्यान रखा जाये और इस कार्यालय से किसी प्रकार के पत्रव्यवहार के लिए इस सं0 को उद्धत करने का कष्ट करें।

15. विद्यालय ऐसी रिर्पोट और सुचना प्रस्तुत करेगा, जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक/ जिला शिक्षों अधिकारी द्वारा अपेक्षित की जाये और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का अनुपालन करता है, जो मान्यता सत्बन्धी शतों की निरन्तर पूर्ति को सुनिश्चित करने हेतु या विद्यालय की कार्यप्रणाली की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जायें।

16. समिति के पंजीकरण के नवीकरण यदि कोई हों को सुनिश्चित किया जायें।

17. विद्यालय प्रबन्धन/न्यास और कर्मचारी वर्ग समय–समय पर जारी किए गये राज्य सरकार के निर्देशो का अनुपालन करेगा।

18. संलग्न अनुलग्नक तीन के अनुसार अन्य शर्ते।

भवदीय

जिला शिक्षा अधिकारी

औरैया